

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/08/3432

दिनांक:- 21/02/08

-: कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा कुल देय बिल पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी:-

1. ग्रोवर डेन्टल क्लिनिक एण्ड ऑर्थोडेंटिक सेन्टर, 362, लेन नं. 1, राजा पार्क, जयपुर।
2. ग्रोवर डेन्टल क्लिनिक, खरबूजा मण्डी, दीपक मार्ग कॉर्नर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
3. जैन हॉस्पिटल, 605-606, शान्ति पथ, सिन्धी कॉलोनी, राजापार्क, जयपुर।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

[Signature]
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता I/II राज0आ0मं0, जयपुर।
2. व0नि0स0-सचिव/वि0स0 एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप-आवासन आयुक्त वृत...../आवासीय अभियंता खण्ड.....।
5. ग्रोवर डेन्टल क्लिनिक एण्ड ऑर्थोडेंटिक सेन्टर, 362, लेन नं. 1, राजा पार्क, जयपुर।
फोन नं. 0141-2622654
6. ग्रोवर डेन्टल क्लिनिक, खरबूजा मण्डी, दीपक मार्ग कॉर्नर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
फोन नं. 0141-2616266
7. जैन हॉस्पिटल, 605-606, शान्ति पथ, सिन्धी कॉलोनी, राजापार्क, जयपुर।
फोन नं. 0141-2604186, 2610939
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय...../नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली।

[Signature]
सचिव
[Signature]
20/02/08